Section 13 : Laying of rules before Parliament

Every rule made under this Act by the Central Government shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

धारा 13 : संसद के समक्ष नियमों का रखा जाना

इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसे बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, नियम में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते है या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाते है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो, यथास्थिति, ऐसा नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।